2022/40

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर

रेनु बनाम मोरीलाल

मा संख्या / वर्ष 22/2021

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/10/22	पत्रावली मिसल को ध्यान तलब करने पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादिया स्वयं उपस्थित वादिया की पश्चात वकील श्री विनोद शर्मा ने की है वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वाद पत्र को विड्रो कर खारिज करवाने का पेश पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात न्याय हित को ध्यान में रखते हुए वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो स्वीकार किया जाकर वाद को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। वादिया का प्रार्थना पत्र वाद विड्रो स्वीकार हो जाने से दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तरमीम दाखिल दफ्तर हो। 26	रेनु जायसवाल 18/10/2022 I.d. 18/10/22 राजेश राजेश राठौड़िया